

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-सा.-18062026-273559
SG-DL-W-18062026-273559

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8]	दिल्ली, जून 5—जून 11, 2026, बृहस्पतिवार/ज्येष्ठ 15—ज्येष्ठ 21, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 65
No. 8]	DELHI, JUNE 5—JUNE 11, 2026, THURSDAY/JYAISTHA 15— JYAISTHA 21, 1948	[N.C.T.D. No. 65

भाग—II खण्ड—1
PART—II Sec.—1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जून, 2026

सं. 78/जनरल-1/ओ.सी./ओ.एल./डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 30/जनरल-1/ओ.सी./ओ.एल./डी.एच.सी. दिनांकित 29.08.2025 के आंशिक अधिक्रमण में, तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V) की धारा 139 (ख), 1976 के संशोधन अधिनियम संख्या 104 द्वारा यथा-संशोधित एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 333(1)(ख) तथा शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 3(2)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय श्री श्रवण कुमार, उप शासकीय समापक, “शासकीय समापक कार्यालय”, 8वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्बद्ध, को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की

अवधि हेतु या इस न्यायालय के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केवल न्यायिक कार्यवाहियों में शासकीय समापकों हेतु या उनकी ओर से दाखिल किए जाने वाले शपथपत्रों को सत्यापित करने के प्रयोजन हेतु शपथ आयुक्त के रूप में, सहर्ष नियुक्त करता है :-

यथा नियुक्त शपथ आयुक्त इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का, जहाँ तक लागू हो, पालन करेंगे |

श्री गौरव, उप शासकीय समापक, जिन्हें पूर्व में अधिसूचना दिनांकित 29.08.2025 द्वारा दो वर्ष की अवधि हुए शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, की नियुक्ति को रद्द समझा जाएगा चूंकि वे शासकीय समापक के कार्यालय से कार्यभार मुक्त हो गए हैं |

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 1st June, 2026

No. 78/Genl.-I/OC/OL/DHC.—In partial supersession of this Court's Notification No. 30/Genl.-I/OC/OL/DHC dated 29.08.2025, and in exercise of powers conferred by Section 139(b) of the Code of Civil Procedure (Act V of 1908) as amended by Amendment Act No.104 of 1976 and Section 333(i)(b) of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Section 3(2)(a) of the Oaths Act, 1969, High Court of Delhi has been pleased to appoint Mr. Shravan Kumar, Assistant Official Liquidator, "Office of Official Liquidator", 8th floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi, attached to High Court of Delhi, as Oath Commissioner for a period of two years from the date of issue of this Notification or until further orders of this Court whichever be earlier only for the purpose of attesting affidavits intended to be filed for and on behalf of the official Liquidator in Judicial proceedings.

The Oath Commissioner so appointed shall observe instructions issued by this Court from time to time so far as applicable.

The appointment of Mr. Gaurav, Deputy Official Liquidator previously appointed as Oath Commissioner for a period of two years vide Notification dated 29.08.2025 stands revoked since he has been relieved from the Office of the Official Liquidator.

By Order of the Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General